संख्या-45/2026/841जे0/22-5-2026-300(56)/2017-ई-1852969

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2026**

विषय- केन्द्रीय कारागार, बरेली-2 में निरूद्ध विचाराधीन बंदी संजू उर्फ संजय पुत्र श्री राजेन्द्र पाल का उपचार/आपरेशन एम0पी0डी0सी0 हॉस्पिटल, बरेली में कराये जाने हेतु धनराशि रू0 14,929/- (रूपये चौदह हजार नौ सौ उन्तीस मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-29266/सामा-1(3)/06/बरेली0परि0/ब0चि0धना0-संजू/26, दिनांक 10-07-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया केन्द्रीय कारागार, बरेली-2 में निरूद्ध विचाराधीन बंदी संजू उर्फ संजय पुत्र श्री राजेन्द्र पाल का उपचार/आपरेशन एम0पी0डी0सी0 हॉस्पिटल, बरेली में कराये जाने हेतु धनराशि रू0 14,929/- (रूपये चौदह हजार नौ सौ उन्तीस मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:

(1) उक्त बंदी का उपचार एम0पी0डी0सी0 हॉस्पिटल, बरेली में ही कराया जायेगा तथा उपचार के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिया जाय।

(2) बंदी का उपचार कारागार विभाग द्वारा कराया जाना उसके जीवन रक्षा के लिए अपरिहार्य एवं आवश्यक है तथा उसके शीघ्र ही कारागार से रिहा होने की कोई सम्भावना न हो। बंदी के उपचार के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये समस्त तथ्यों की जिम्मेदारी केन्द्रीय कारागार, बरेली-2 की होगी।

(3) यह भी सुनिश्चित करें कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(4) उक्त बंदी के उपचार के उपरान्त व्यय धनराशि के प्रमाणित बिल की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2026-2027 के अनुदान संख्या-25, लेखाशीर्षक-2056-जेले-आयोजनेत्तर-101-जेले-03-समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा तथा उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कमलेश कुमार)
उप सचिव।

संख्या:45/2026/841जे0(1)/22-5-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
3- मुख्य कोषाधिकारी, बरेली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली-2 ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।